VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

वर्ष के दौरान एक समुत्थानशील और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का निर्माण करते हुए वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना विनियामकीय और पर्यवेक्षी पहलों का प्राथमिक उद्देश्य बना रहा। तदनुसार, अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं एवं विनियामकीय रिपोर्टिंग प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप कई विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपाय किए गए। साइबर सुरक्षा बढ़ाने, धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी समवर्ती उद्देश्यों के रूप में अपनाए गए।

VI.1 वर्ष के दौरान घरेलू वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और समुत्थानशील बनी रही। रिज़र्व बैंक ने तकनीकी व्यवधानों, साइबर जोखिमों और जलवायु परिवर्तन से उभरती चुनौतियों के बीच वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और जिम्मेदार नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास जारी रखे। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ विनियामकीय / पर्यवेक्षी रुपरेखा को संरेखित करने के समग्र उद्देश्य के हिस्से के रूप में, वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन, विनियामकीय अनुपालन और प्रवर्तन, और उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

VI.2 विनियमन विभाग (डीओआर) ने अन्य बातों के साथ, ऋण में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के सिद्धांतों, ऋणों और अग्रिमों पर मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) का स्वैच्छिक रूप से सार्वभौमिक बैंक में परिवर्तन, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू विनियमों का सामंजस्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करना, परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता तथा ऋण राहत योजनाओं को लागू करते समय अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण व्यवहार पर दिशानिर्देश जारी किए।

VI.3 फिनटेक विभाग ने प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन कार्यात्मकताओं के उपयोग के मामलों का परीक्षण और सीबीडीसी-खुदरा (सीबीडीसी-आर) में चुनिंदा गैर-बैंकों के सीबीडीसी को लॉन्च करके केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट के दायरे और व्याप्ति का विस्तार किया; सीबीडीसी-थोक (सीबीडीसी-डब्ल्यू) पारिस्थितिकी तंत्र में एकल प्राथमिक व्यापारियों को जोड़ा और तकनीकी संरचना में उन्नयन किया; अधिक ऋणदाताओं, डेटा सेवा प्रदाताओं और ऋण यात्राओं को शामिल करने के लिए एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) पर चल रहे पायलट का विस्तार किया; फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामकीय संगठनों (एसआरओ) के लिए रुपरेखा जारी किया एवं एक संघ को एसआरओ के रूप में मान्यता दी; और फिनटेक और एमटेक रिपॉजिटरी का लोकार्पण किया।

VI.4 पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण को और सुदृढ़ एवं एकीकृत करने के उपाय शुरू किए जिनमें साइबर/सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित जोखिम मूल्यांकन, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर जोर और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन शोधन विरोधी (एएमएल) पर्यवेक्षण; शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रुपरेखा पर दिशानिर्देश; प्रमुख वैश्विक अधिकार क्षेत्रों में विदेशी प्राधिकरणों के साथ सीमा

पार पर्यवेक्षी जुड़ाव को बढ़ाना; और पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (ईएसडीक्यूआई) का विकास शामिल हैं। उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और मौजूदा ग्राहक सेवा विनियमों और संरक्षण पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

VI.5 यह अध्याय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा करता है। इस अध्याय के शेष भाग को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता विभाग (एफ़एसडी) के अधिदेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए विनियामकीय उपायों के साथ-साथ फिनटेक विभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। खंड 4 पर्यवेक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पर्यवेक्षी उपायों और प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों को शामिल करता है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा, जागरूकता प्रसार और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सीईपीडी और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। इन विभागों के 2025-26 के कार्यसूची को इस अध्याय के संबंधित खंडों में शामिल किया गया है। निष्कर्ष टिप्पणियाँ अंतिम खंड में दी गई हैं।

2. वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी)

VI.6 एफ़एसडी समष्टि आर्थिक स्थिरता के जोखिमों की निगरानी करता है और समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी करके वित्तीय प्रणाली की समुत्थानशीलता का मूल्यांकन करता है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है, जो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और वित्तीय प्रणाली के लिए समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन हेतु एक संस्थागत अंतर-विनियामकीय मंच है। एफ़एसडी अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) जारी करता है, जिसमें विभिन्न जोखिम परिदृश्यों के तहत समष्टि-दबाव परीक्षणों के परिणामों के साथ प्रमुख समष्टि आर्थिक दुर्बलताओं को उजागर किया जाता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.7 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- समकक्ष-समीक्षा की सिफारिशों का कार्यान्वयन (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.8];
- गैर-बैंकिंग स्थिरता मानचित्र/सूचकांक का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.9]; और
- एकल-कारक दबाव परीक्षणों में वृद्धि (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.9]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.8 समकक्ष-समीक्षा की सिफारिशों के आधार पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए समष्टि-दबाव परीक्षण रुपरेखा संशोधित किया गया है। इस रुपरेखा में निम्नानुसार संशोधन शामिल हैं: (i) बहिर्जात परिवर्ती (वीएआरएक्स) मॉडल के साथ वेक्टर स्वप्रतिगामी का उपयोग करके सिमुलेशन द्वारा आंतरिक रूप से सुसंगत प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिदृश्यों का पूर्वानुमान; (ii) पैनल प्रतिगामी मॉडल का उपयोग करके बैंक स्तर पर गिरावट अनुपात, ब्याज आय और ब्याज व्यय का पूर्वानुमान; (iii) ऋण शोधन क्षमता दबाव परीक्षण रुपरेखा में बाजार जोखिम को शामिल करना; (iv) समष्टि-दबाव परीक्षण की परिदृश्य सीमा को वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर 1.5 - 2.0 वर्ष करना; और (v) आगामी वित्तीय वर्षों के अंत में प्रमुख वित्तीय अनुपातों के पूर्वानुमान प्रकट करना।

VI.9 एनबीएफसी क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाले जोखिम कारकों का समग्र मूल्यांकन करने के लिए एक गैर-बैंकिंग स्थिरता मानचित्र/सूचकांक विकसित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समकक्ष-समीक्षा की सिफारिश के आधार पर, विभाग ने एकल कारक दबाव परीक्षणों को बढ़ाने की प्रक्रिया में चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)-प्रकार के चलनिधि दबाव परीक्षण को सक्रिय करके एससीबी के पूर्ववर्ती चलनिधि दबाव परीक्षण को बदल दिया है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.10 आगामी वर्ष में, एफ़एसडी निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- दबाव परीक्षण रुपरेखा को और विस्तार देने के लिए एक संस्थानिक एनबीएफ़सी चलनिधि दबाव परीक्षण रुपरेखा का विकास किया जाएगा, जबकि समष्टि-दबाव परीक्षण को यूसीबी क्षेत्र (टियर-3 और टियर-4) तक बढ़ाया जा रहा है। दबाव परीक्षण रुपरेखा को बढ़ाने के अलावा, उक्त विभाग प्रमुख कार्बन गहन क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन जोखिम के प्रभाव और उत्सर्जन गहन क्षेत्रों में जोखिम वाले बैंकों के तुलन-पत्र पर इसके प्रभाव का आकलन करने की भी योजना बना रहा है; और
- वर्तमान समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों को आगामी विकास के वितरण से जोड़कर 'जोखिम-पर-विकास' मॉडल विकसित किया जाएगा ताकि वित्तीय परिस्थितियों और दुर्बलताओं के स्तर द्वारा भविष्य में कमजोर आर्थिक विकास की संभावना पर होने वाले प्रभाव को समझा जा सके।

3. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का विनियमन

विनियमन विभाग (डीओआर)

VI.11 डीओआर वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, सीआईसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई)[1] के विनियमन के लिए नोडल विभाग है। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के साथ, विनियामकीय रुपरेखा को भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.12 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर संपत्तियों के मूल्यांकन पर दिशानिर्देशों की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.13];
- ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण के लिए विनियामकीय रुपरेखा (पैराग्राफ VI.14);
- परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामकीय रुपरेखा को मजबूत करने और सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) में निर्देशों को सुसंगत बनाने के उद्देश्य से, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई थी और सभी आरई पर लागू एक व्यापक विनियामकीय रुपरेखा जारी करने का प्रस्ताव है (पैराग्राफ VI.15);
- बैंकों द्वारा प्रावधान के लिए संभाव्य ऋण हानि (ईसीएल) रुपरेखा की शुरूआत पर 16 जनवरी, 2023 को एक चर्चा-पत्र जारी किया गया था जिसमें हितधारकों से टिप्पणियां मांगी

[1] निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफ़आईडी)।

गई थीं। चर्चा पत्र पर की गई टिप्पणियों की जांच के साथ-साथ, एक बाहरी कार्य समूह - जिसमें शिक्षा जगत, उद्योग और चुनिंदा प्रमुख बैंकों के कार्यक्षेत्र-विशेषज्ञ शामिल हैं - का गठन अक्टूबर 2023 में किया गया था ताकि टिप्पणियों की समग्र रूप से जांच की जा सके और कुछ तकनीकी पहलुओं पर स्वतंत्र टिप्पणियां प्रदान की जा सकें। चर्चा-पत्र पर प्राप्त फीडबैक और फरवरी 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले कार्य समूह की सिफारिशों को शामिल करके उक्त विषय पर दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, (पैराग्राफ VI.15)।

- अग्रिम ब्याज दर संबंधी मौजूदा विनियमन विभिन्न आरई में अलग-अलग हैं। इन्हें सुसंगत बनाने के लिए, मौजूदा विनियामकीय निर्देशों की व्यापक समीक्षा की जा रही है (पैराग्राफ VI.16);
- 22 अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए पैमाना-आधारित विनियामकीय रुपरेखा में उल्लिखित एनबीएफसी में विभिन्न समितियों (जैसे, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, और जोखिम प्रबंधन समिति) की भूमिका का निर्धारण (पैराग्राफ VI.17);
- एनबीएफसी/एचएफसी के प्रबंधन में बदलाव के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा करना, जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों में बदलाव होगा (पैराग्राफ VI.17);
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के परिप्रेक्ष्य में एक नई विदेशी निवेश व्यवस्था के संचालन के अंतर्गत, एनबीएफसी और सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश पर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी (पैराग्राफ VI.17);
- अप्रैल 2021 में, एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामकीय रुपरेखा की समीक्षा करने और उनकी प्रभावकारिता बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक बाहरी समिति का गठन किया गया था। समिति की प्रमुख सिफारिशों को 11 अक्टूबर, 2022 के परिपत्र के माध्यम से लागू किया गया। समिति की शेष सिफारिशों की जांच की जाएगी और 2024-25 के दौरान उन्हें लागू किया जाएगा (पैराग्राफ VI.18);
- एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को एनबीएफसी के लिए पैमाना-आधारित विनियामकीय रुपरेखा के मध्य स्तर में रखा गया है। हालांकि, एनबीएफसी के विपरीत, एसपीडी सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य बाजार से संबंधित उत्पादों के प्रति अपने जोखिम के मद्देनजर बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं पर दिशानिर्देशों के अधीन हैं और ऐसी विभिन्न मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों को करने के लिए भी पात्र हैं, जिन्हें करने की एनबीएफसी को अनुमति नहीं है। बैंकों के लिए बासेल III मानकों के साथ अभिसरण लाने के लिए एसपीडी के बाजार जोखिम के रुपरेखा की समीक्षा की जाएगी (पैराग्राफ VI.18); और
- संबद्ध ऋण में नैतिक जोखिम के मुद्दे शामिल हो सकते हैं जिससे मूल्य निर्धारण और ऋण प्रबंधन में समझौता हो सकता है। इस मुद्दे पर मौजूदा दिशानिर्देश एक दायरे में सीमित हैं और सभी आरई पर समान रूप से लागू नहीं हैं। जैसा

कि विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर रिज़र्व बैंक के वक्तव्य (8 दिसंबर, 2023) में घोषित किया गया है, सभी आरई के लिए संबद्ध ऋण पर एक एकीकृत विनियामकीय रुपरेखा लागू किया जाएगा, जिसके लिए सार्वजनिक टिप्पणियों का एक मसौदा परिपत्र जारी किया जाएगा (पैराग्राफ VI.18)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.13 ऋण देने की प्रक्रिया में, संस्थाएँ अपने एक्सपोजर को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्राथमिक या संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रभार लगाती हैं। ऐसी अधिकांश प्रतिभूतियाँ गैर-वित्तीय प्रकृति की होती हैं जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी और मालसूची। यद्यपि वित्तीय प्रतिभूतियों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर स्पष्ट मानक और विनियम हैं, गैर-वित्तीय प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मौजूदा निर्देश प्रकृति में अपेक्षाकृत व्यापक हैं और प्रत्येक आरई में भिन्न हैं। आरई में इस संबंध में विनियमों को सुसंगत बनाने और मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक स्थिरता लाने के उद्देश्य से वर्तमान में एक व्यापक समीक्षा चल रही है।

VI.14 वर्तमान में, अधिकांश ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) कई ऋण भागीदारों के साथ भागीदारी करके वेब-एकत्रीकरण सेवा उपलब्ध कराते हैं। आम तौर पर, एलएसपी किसी उधारकर्ता विशेष के लिए उपयुक्त ऋणदाता चुनने में विवेक का प्रयोग करते हैं और शायद ही कभी उधारकर्ता को सुविज्ञ चुनाव करने के लिए सभी उपलब्ध ऋण प्रस्तावों को प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल ऋण में ग्राहक केंद्रितता के उद्देश्य के अनुरूप, 26 अप्रैल, 2024 के एक मसौदा परिपत्र के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया था कि आरई को यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया जाए कि कई आरई के साथ व्यवस्था करने वाले सभी एलएसपी अपने डिजिटल ऋण ऐप (डीएलए) पर इच्छुक ऋणदाताओं से उधारकर्ताओं को उपलब्ध ऋण प्रस्तावों का डिजिटल-व्यू प्रस्तुत करें। डिजिटल-व्यू में कम से कम आरई का नाम, ऋण की राशि, वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर), अवधि और अन्य संबंधित नियम और शर्तें जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। एलएसपी, सभी उपलब्ध विकल्पों को प्रदर्शित करते समय, उधारकर्ताओं को किसी विशेष ऋण प्रस्ताव को चुनने के लिए अपने उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में ऐसे किसी भी 'डार्क पैटर्न'[2] का उपयोग नहीं करेंगे जो उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करते हुए अंतिम दिशानिर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश 2025 के एक हिस्से के रूप में जारी किए जा चुके हैं।

VI.15 परियोजना ऋणों के वित्तपोषण और क्षेत्र में प्रचलित संरचनात्मक मुद्दों के संबंध में बैंकों के अनुभव की व्यापक समीक्षा के आधार पर, कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों पर मसौदा दिशानिर्देश 3 मई 2024 को जारी किए गए थे। मसौदा दिशानिर्देशों का उद्देश्य मानदंडों को ऐसे जोखिमों के समाधान के लिए अधिक सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप लाना है। साथ ही, उक्त दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि आरई समय पर जोखिमों को पहचानें और ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित आघात का शमन करने हेतु पर्याप्त बफर बनाएं। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए संशोधित दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन दिशानिर्देशों को अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर प्रस्तावित प्रावधान व्यवस्था के अनुरूप भी लाया जाएगा। उक्त प्रावधान व्यवस्था के मसौदा परिपत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें पूर्व में जारी किए गए चर्चा-पत्र पर प्राप्त फीडबैक और बाहरी कार्यसमूह की सिफारिशें शामिल हैं।

[2] डार्क पैटर्न डिज़ाइन इंटरफ़ेस और कार्यनीतियों का प्रयोग उपयोगकर्ताओं से वांछित व्यवहार प्राप्त करने हेतु किया जाता है।

VI.16 मौद्रिक संचरण के उद्देश्यों, जोखिम मूल्य निर्धारण तथा आचरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अग्रिमों पर ब्याज दरों के रुपरेखा से संबंधित अपनाने योग्य कार्यपद्धति पर आंतरिक रूप से तथा प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श[3] किया गया है। व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, सभी आरई में ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज दरों की एक सुसंगत व्यवस्था की ओर बढ़ने की विभिन्न अनिवार्यताओं को रेखांकित करते हुए एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है।

VI.17 एनबीएफसी और एचएफसी में बोर्ड समितियों के कार्यों और जिम्मेदारियों पर मसौदा दिशा-निर्देशों पर विचार किया जा रहा है। स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर 30 प्रतिशत से अधिक निदेशकों को शामिल करने वाले प्रबंधन परिवर्तनों के लिए एनबीएफसी/एचएफसी के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की मौजूदा विनियामकीय आवश्यकता की भी समीक्षा की जा रही है। सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी और सीआईसी द्वारा विदेशी निवेश संबंधी मसौदा परिपत्र पर कार्य जारी है।

VI.18 एआरसी समिति की शेष सिफारिशों पर उपयुक्त दिशा-निर्देश 2025-26 में जारी किए जाएंगे। एसपीडी के बाजार जोखिम रुपरेखा की समीक्षा बैंकों के संशोधित बाजार जोखिम रुपरेखा के आधार पर की जाएगी और इस पर कार्य जारी है। संबद्ध ऋण अथवा संबंधित पक्षों को दिए जाने वाले ऋण में नैतिक जोखिम के मुद्दे निहित हैं। आयकर अधिनियम, 1961, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और कंपनी अधिनियम, 2013 जैसे कानूनों में संबंधित पक्षों की मौजूदा निर्देशों और परिभाषा पर विचार करने के बाद संबद्ध ऋण की व्यापक समीक्षा की गई है। तदनुसार, मसौदा परिपत्र तैयार किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा।

प्रमुख घटनाक्रम[4]

क्रेडिट में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन के विनियामकीय सिद्धांत

VI.19 निर्णयन को सुविधापूर्ण बनाने एवं बढ़ाने के लिए आरई विभिन्न गतिविधियों के मॉडल का उपयोग करते हैं। नियम-आधारित एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग (एमल) के अनुप्रयोग ने ऐसे मॉडलों पर निर्भरता बढ़ा दी है। ऐसे मॉडलों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से, 5 अगस्त, 2024 को 'क्रेडिट में मॉडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु विनियामकीय सिद्धांतों' पर एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया था, जो मॉडल जोखिम प्रबंधन के पालन संबंधी व्यापक विनियामकीय सिद्धांत प्रदान करता है। मसौदा रुपरेखा में शासन और निगरानी, मॉडल विकास एवं परिनियोजन और मॉडल सत्यापन रुपरेखा से संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है। परामर्श अवधि के दौरान प्राप्त फीडबैक के आलोक में, रिज़र्व बैंक अंतिम दिशा-निर्देश जारी करेगा, जिसमें सभी प्रासंगिक कार्यात्मक और परिचालन कार्यक्षेत्र में परिनियोजित मॉडलों को शामिल करने के लिए व्यापक दायरा शामिल होगा।

डिजिटल ऋणदाता ऐप (डीएलए) की निर्देशिका का निर्माण

VI.20 यद्यपि सितंबर 2022 में जारी डिजिटल ऋणदाता दिशानिर्देश आरई की डिजिटल ऋणदाता गतिविधियों के पूरे दायरे को कवर करते हैं, तथापि अवैध ऐप द्वारा दुष्प्रयोग की खबरों के साथ, उक्त अवैध ऋणदाता ऐप के मुद्दे ने हाल में

[3] इस रिपोर्ट के अनुबंध II में अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के दौरान सार्वजनिक परामर्श के बाद किए गए विनियामक उपायों की सूची दी गई है।

[4] यह उप-खंड डीओआर द्वारा जारी किए गए प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट के अनुबंध I में अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान की गई नीति घोषणाओं का एक व्यापक विभागवार कालक्रम दिया गया है

ध्यान आकर्षित किया है। कई मामलों में, उक्त अवैध ऐप आरई के साथ अपने संबंधों का झूठा विज्ञापन करते हैं और कुछ संस्थाएं अपने ऐप को एनबीएफसी के सहभागी ऐप के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एनबीएफसी की फर्जी वेबसाइट बनाती हैं। तदनुसार, डीएलए के आरई के साथ जुड़ाव के दावे को सत्यापित करने में ग्राहकों की सहायता के लिए, रिज़र्व बैंक ने डीएलएएस की सार्वजनिक निर्देशिका के परिचालन संबंधी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आरई को रिज़र्व बैंक के केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल के माध्यम से अपने डीएलएएस का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। आरई के पास प्रारंभिक डेटा की रिपोर्ट करने के लिए 15 जून, 2025 तक का समय है।

ऋण और अग्रिमों पर मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)

VI.21 जैसा कि विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य (8 फरवरी, 2024) में घोषित किया गया है, सभी आरई द्वारा दिए गए खुदरा और एमएसएमई ऋणों पर लागू ऋण और अग्रिमों पर केएफएस के संबंध में एक परिपत्र 15 अप्रैल, 2024 को जारी किया गया था। आरई को अपने उधारकर्ताओं को ऋण की समग्र लागत सहित ऋण समझौते के बारे में मुख्य जानकारी युक्त एक विवरण सरल और बोधगम्य प्रारूप में प्रदान करना आवश्यक है।

पूंजी बाजार में बैंकों का एक्सपोजर - अपरिवर्तनीय भुगतान प्रतिबद्धताओं (आईपीसी) का जारी होना

VI.22 स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इक्विटी के लिए निपटान चक्र को टी+2 ('टी' व्यापार दिवस है) से संशोधित कर टी+1 कर दिया गया है। तदनुसार, आईपीसी जारी करने से निर्मित बैंकों के अंतःदिवसीय जोखिमों के लिए जोखिम शमन उपायों को 3 मई, 2024 के परिपत्र के माध्यम से निम्नानुसार संशोधित किया गया है: (i) पूंजी बाजार जोखिम (सीएमई) की गणना निपटान राशि के 30 प्रतिशत पर की जाएगी; (ii) प्रतिपक्ष के लिए अंतःदिवसीय सीएमई बड़ी जोखिम सीमाओं के अधीन होगा; और (iii) यदि टी+1 के अंत में कोई जोखिम बकाया रहता है, तो मौजूदा मानदंडों के अनुसार पूंजी बनाए रखनी होगी।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), 2015 - संशोधन

VI.23 भारत सरकार ने जीएमएस के संबंध में 25 मार्च, 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से 26 मार्च, 2025 से जीएमएस के मध्यम अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को बंद करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जीएमएस के एमएलटीजीडी घटक के लिए नामित संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी)/जीएमएस संग्रहण, संग्रह और परीक्षण एजेंट (जीएमसीटीए)/नामित बैंक शाखाओं में प्रस्तुत कोई भी स्वर्ण जमा 25 मार्च, 2025 के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। नामित बैंक अपने विवेक से जीएमएस के तहत अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी) प्रस्तुत कर सकते हैं। 25 मार्च, 2025 तक जुटाए गए एमएलटीजीडी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन तक जारी रहेंगे।

जलवायु जोखिम और संधारणीय वित्त

VI.24 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने जलवायु जोखिम शमन और वित्त, जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन, परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण के कई पहलुओं को शामिल करने वाले आरई के मध्य प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के लिए दो कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से क्षमता निर्माण के अलावा, सतत और हरित वित्त के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली हरितीकरण नेटवर्क (एनजीएफएस) की वार्षिक पूर्ण और संचालन समिति की बैठकों की भी मेजबानी की और विभिन्न हितधारकों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए 'जलवायु परिवर्तन जोखिम

और वित्त' पर एक राष्ट्रीय स्तर की नीति संगोष्ठी का आयोजन किया।

रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का निर्माण

VI.25 अक्टूबर 2024 में, रिज़र्व बैंक ने आरई द्वारा जलवायु जोखिम आकलन करने हेतु डेटा संबंधी अंतराल को कम करने के लिए आरबी-सीआरआईएस (डेटा रिपोजिटरी) के निर्माण की घोषणा की। इस संबंध में, विभिन्न डेटा स्रोतों को सूचीबद्ध करते हुए एक वेब-आधारित निर्देशिका बनाने करने का प्रस्ताव है, जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होगी, साथ ही एक डेटा पोर्टल भी होगा जिसमें आरई के लिए सुलभ डेटासेट (यानी, मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) शामिल होंगे (बॉक्स VI.1)।

सरकारी ऋण राहत योजनाएं (डीआरएस)

VI.26 डीआरएस में उधारकर्ता के आंशिक या संपूर्ण ऋण दायित्वों को शामिल करने के लिए आम तौर पर राजकोषीय प्राधिकरण द्वारा निधीयन किया जाता है और यह ऋणदाता संस्थानों पर शेष ऋण जोखिम का त्याग करने/माफ करने का दायित्व भी डाल सकता है। ऋण अनुशासन के दृष्टिकोण से इसके अपने निहितार्थ हैं और इससे नैतिक जोखिम और विवेकपूर्ण चिंताएं पैदा हो सकती हैं, जिनमें धन प्राप्ति में देरी, आरई द्वारा स्वीकार किए गए/प्रस्तुत किए गए दावों और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए दावों के बीच बेमेल तथा नए ऋण को मंजूरी देने की अनिवार्य आवश्यकता शामिल है। तदनुसार, 31 दिसंबर, 2024 को सरकारी ऋण राहत योजनाओं पर

बॉक्स VI.I

रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस)

जलवायु परिवर्तन वित्तीय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में उभर रहा है रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन जोखिमों का उचित मूल्यांकन, प्रमात्रीकरण और शमन करना आरई के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जलवायु जोखिम के वित्तीय प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करना आरई के लिए एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि उक्त मूल्यांकन में मॉडलिंग चुनौतियों के अतिरिक्त उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की कमी होने जैसे बाधाएँ भी हैं।

जलवायु परिवर्तन जोखिम आम तौर पर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात भौतिक जोखिम और संक्रमण जोखिम। भौतिक जोखिमों के आकलन के लिए बाढ़, सूखा, चक्रवात, समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं के लिए भौगोलिक स्थानों की संवेदनशीलता के रूप में जोखिम डेटा और भेद्यता डेटा, यानी वित्तीय हानि डेटा की आवश्यकता होती है। जलवायु जोखिम के बारे में अंतिम मूल्यांकन ऐसे डेटा की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा।

इसी तरह, संक्रमण जोखिम के आकलन में कार्बन की कीमतों, क्षेत्रीय बेंचमार्क मार्गों और उत्सर्जन तीव्रता के आकलन के संदर्भ में डेटा अंतराल से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है। डेटा अंतराल, एक समान कार्यप्रणाली की कमी, पहुंच में विखंडन, डेटा के प्रकाशन में एकरूपता की कमी और मैट्रिक्स, इकाइयों और प्रारूपों में अंतर से लक्षित होते हैं। यद्यपि व्यापक, सुसंगत और तुलनीय डेटा के लिए स्रोत स्थापित करने हेतु एनजीएफएस, जी20 डेटा गैप इनिशिएटिव (डीजीआई) और नेट-जीरो डेटा पब्लिक यूटिलिटी (एनजेडडीपीयू) जैसी पहलें हैं; लेकिन इन पहलों को एक विकासशील देश के हिसाब से सुव्यवस्थित करने की जरूरत है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने एक डेटा डिपोजीटरी, यानी आरबी-सीआरआईएस के निर्माण की घोषणा की है, जिसके दो भाग हैं: (i) वेब-आधारित निर्देशिका, जिसमें विभिन्न डेटा स्रोतों (मौसम विज्ञान और भू-स्थानिक) को सूचीबद्ध किया गया है, जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से सुलभ होंगे; और (ii) डेटा पोर्टल जिसमें डेटासेट (मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) शामिल हैं, जो रिज़र्व बैंक के आरई के लिए सुलभ होंगे। इन डेटा अंतरालों को कम करने से जलवायु परिवर्तन जोखिमों के वित्तीय प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित होगा, जिससे व्यापक वित्तीय प्रणाली के लिए सुविज्ञ निर्णय लेने और नीति निर्माण में सुविधा होगी।

संदर्भ:

ली, बी., और क्रोएसे, बी. (2022), 'ब्रिजिंग डेटा गेप्स केन हेल्प टेकल द क्लाइमेट क्राइसिस', आईएमएफ ब्लॉग, 28 नवंबर।

एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ डीआरएस को लागू करते समय आरई द्वारा अपनाए जाने वाले विवेकपूर्ण व्यवहार शामिल थे। परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से एवं सरकार, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं सहित भागीदार हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसी योजनाओं को साकार और कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों के विचार के लिए मॉडल परिचालन प्रक्रिया (एमओपी) भी इस परिपत्र में शामिल है।

एससीबी का एनबीएफसी के प्रति एक्सपोजर

VI.27 उपभोक्ता ऋण के कुछ क्षेत्रों में कोविड के बाद जोखिम बढ़ने और निधीयन के लिए एनबीएफसी की एससीबी पर बढ़ती निर्भरता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए 16 नवंबर, 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एससीबी और एनबीएफसी के कुछ उपभोक्ता ऋण एक्सपोजर के जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां बाहरी रेटिंग के आधार पर मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम था, एनबीएफसी के प्रति एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार में 25 प्रतिशत अंकों की वृद्धि की गई। 25 फरवरी, 2025 के एक परिपत्र के माध्यम से समीक्षा कर यह निर्णय लिया गया है कि एससीबी द्वारा एनबीएफ़सी के निधीयन के जोखिम भार को एनबीएफसी की दी गई बाहरी रेटिंग (जहां एनबीएफसी की बाहरी रेटिंग के अनुसार मौजूदा जोखिम भार 100 प्रतिशत से कम है) से जुड़े जोखिम भार पर बहाल किया जाए।

रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पाद - लघु वित्त बैंक (एसएफबी)

VI.28 तुलन पत्र और वाणिज्यिक परिचालन में ब्याज दर जोखिम का अधिक प्रभावी ढंग से बचाव करने हेतु अधिक समुत्थानशीलता प्रदान करने और उपलब्ध अवसरों का विस्तार करने के लिए, एसएफबी को, ब्याज दर जोखिम का बचाव करने के लिए, स्वीकार्य रुपया ब्याज दर व्युत्पन्न उत्पादों में सौदा करने की अनुमति दी गई थी।

लघु वित्त बैंकों का सार्वभौमिक बैंकों में स्वैच्छिक परिवर्तन

VI.29 26 अप्रैल, 2024 को, रिज़र्व बैंक द्वारा लघु वित्त बैंकों को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित करने संबंधी पात्रता मानदंड जारी किए गए। पात्रता मानदंडों के अनुसार, लघु वित्त बैंकों का अनुसूचित होने के साथ, न्यूनतम पाँच वर्षों की अवधि के प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर होने चाहिए। इसके अलावा, लघु वित्त बैंकों के पास पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम ₹ 1,000 करोड़ की निवल संपत्ति और 15 प्रतिशत के जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की अपनी निर्धारित पूंजी होनी चाहिए। साथ ही, क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या बराबर के सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात के साथ, उन्हें पिछले दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पात्र एसएफ़बी को सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित होने के औचित्य को विस्तार से प्रस्तुत करना होगा।

सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के प्रारूप

VI.30 सहकारी बैंकों के वित्तीय विवरणों के वर्तमान प्रारूप को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत 1981 में अधिसूचित किया गया था। तब से, वित्तीय बाजार के साथ, लेखांकन मानकों और प्रथाओं में कई परिवर्तन हुए हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने प्रारूप की समीक्षा की और 7 जनवरी, 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रारूप का मसौदा जारी किया। प्राप्त टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं के आधार पर मसौदा प्रारूपों की व्यापक समीक्षा रिज़र्व बैंक द्वारा की जा रही है।

निवेश के लिए व्यवसाय के स्वरूप और विवेकपूर्ण विनियमन

VI.31 बैंकों और उनके समूह निकायों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और बैंकों तथा परिचालनेतर वित्तीय शेयर-पूंजी कंपनियों (एनओएफएचसी) को क्रमशः इक्विटी निवेश और समूह निकाय स्थापित करने

हेतु अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 4 अक्टूबर, 2024 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर 'निवेश के लिए व्यवसाय के स्वरूप और विवेकपूर्ण विनियमन' पर एक मसौदा परिपत्र जारी किया गया। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

एचएफसी और एनबीएफसी पर लागू विनियमों का सामंजस्य

VI.32 एचएफसी के विनियमन के एनएचबी से रिज़र्व बैंक को हस्तांतरण के बाद, एचएफसी को एनबीएफसी की श्रेणी का मानते हुए ऐसे विभिन्न विनियम जारी किए गए हैं, जो उनकी विशिष्ट प्रकृति पर उचित रूप से विचार करते हैं। सहज विनियामकीय संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु, एचएफसी और एनबीएफसी के विनियमों के बीच और अधिक सामंजस्य स्थापित करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। तदनुसार, समीक्षा के बाद, जमा निर्देशों, गतिविधियों के विविधीकरण, बचाव मार्ग, खाता संकलक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तकनीकी विनिर्देशों और अन्य विविध विनियमों से संबंधित एचएफसी के कुछ विनियमों को 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी हुए दिनांक 12 अगस्त, 2024 के परिपत्र के माध्यम से एनबीएफसी विनियमों के साथ सुसंगत बनाया गया है। इसके अलावा, एचएफसी द्वारा एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी स्थापन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और 29 जनवरी, 2025 के परिपत्र के माध्यम से उन्हें एनबीएफसी विनियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित किया गया है।

एआरसी द्वारा ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचना प्रस्तुत करना

VI.33 एआरसी के सीआईसी से संबंधित दिशानिर्देशों को बैंकों और एनबीएफसी पर लागू दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने और बैंकों और एनबीएफसी द्वारा एआरसी को ऋण हस्तांतरित करने के बाद उधारकर्ताओं के क्रेडिट विवरण पर नज़र रखने के उद्देश्य से, एआरसी द्वारा सीआईसी को सूचना प्रस्तुत करने संबंधी एक परिपत्र 10 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) एआरसी को सभी चार सीआईसी का सदस्य बनने की सलाह देना; (ii) एआरसी और सीआईसी के बीच सहमति के अनुसार एआरसी द्वारा सीआईसी को पाक्षिक आधार पर या कम अंतराल पर डेटा प्रस्तुत करने की शर्त रखना; (iii) सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अस्वीकृत डेटा को सुधारने का निर्देश देना; और (iv) डेटा के नियमित प्रस्तुतीकरण/अद्यतन और ग्राहक शिकायत निवारण संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं की पहुँच एआरसी तक बढ़ाना।

उधारकर्ताओं के देय के निपटान पर एआरसी के दिशानिर्देश

VI.34 देय के एकमुश्त निपटान (ओटीएस) पर एआरसी के पूर्व के दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के बाद, पेशेवरों की एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा सभी ओटीएस प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एआरसी पर लागू ओटीएस दिशानिर्देशों की एक व्यापक समीक्षा की गई और 20 जनवरी, 2025 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हैं कि: (i) देय वसूलने के सभी संभावित तरीकों की जांच करने के बाद उधारकर्ता के साथ निपटान किया जाना चाहिए और ओटीएस को उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्प माना जाए; (ii) ₹1 करोड़ से अधिक के कुल देय मूल्य वाले खातों के साथ-साथ धोखाधड़ी या इरदातन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत सभी खातों का निपटान, आईएसी द्वारा प्रस्ताव की जांच और उसके बाद कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों वाले निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के उपरांत किया जाना चाहिए; और (iii) ₹1 करोड़ से कम के कुल देय मूल्य

वाले खातों का निपटान बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जो संबंधित वित्तीय आस्ति के अधिग्रहण का हिस्सा था, वह उसी वित्तीय आस्ति के ओटीएस प्रस्ताव को संसाधित करने/अनुमोदित करने का हिस्सा नहीं होगा।

एनबीएफसी – समकक्षीय (एनबीएफसी-पी2पी) उधार मंच (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2017

VI.35 पर्यवेक्षी जांच के दौरान एनबीएफसी-पी2पी के परिचालन में ऐसे कई मामले देखे गए जो विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। विनियामकीय दिशानिर्देशों की उचित समझ सुनिश्चित करने के लिए 16 अगस्त, 2024 को कुछ स्पष्टीकरण जारी किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत तथ्य शामिल हैं: (i) ऋणदाताओं के धन को निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से अभिनियोजित नहीं किया जाना चाहिए; (ii) किसी ऋणदाता के धन का उपयोग अन्य ऋणदाता(ओं) के प्रतिस्थापन के लिए नहीं किया जाना चाहिए; (iii) वस्तुनिष्ठ मूल्य निर्धारण नीति और उधार देने के समय वसूले जाने वाले शुल्क का प्रकटीकरण अर्थात ऐसे शुल्क एक निश्चित राशि अथवा उधार देने के लेन-देन में शामिल मूल राशि का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए और उधारकर्ता(ओं) द्वारा चुकाने पर निर्भर नहीं होना चाहिए; (iv) निलंब खातों में स्थानांतरित धनराशि 'टी+1' दिन से अधिक अवधि के लिए उन खातों में नहीं रहनी चाहिए। यहां 'टी' वह तिथि है जिस दिन धनराशि इन निलंब खातों में स्थानांतरित की जाती है; और (v) ऋणदाताओं द्वारा वहन किए गए घाटे और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के संबंध में एनबीएफसी-पी2पी वेबसाइट पर पोर्टफोलियो निष्पादन का प्रकटीकरण।

इरादतन चूककर्ता एवं बड़े चूककर्ता

VI.36 इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों/आदेशों के साथ-साथ हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को भी ध्यान में रखा गया। इसी क्रम में, मसौदा निर्देशों पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों को शामिल करने के बाद 30 जुलाई, 2024 को अंतिम मास्टर निर्देश जारी किया गया। मास्टर निर्देश एक ऐसे व्यापक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, जो इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के लिए विनियामकीय रुपरेखा और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। ये दिशानिर्देश एससीबी, अनुसूचित यूसीबी, एआईएफआई, एनबीएफसी – मान-आधारित विनियामकीय रुपरेखा के अनुसार मध्यम और उससे ऊपर के लेयर, संशोधित विनियामकीय संरचना के अनुसार टियर 3 और 4 के अंतर्गत आने वाले गैर-अनुसूचित यूसीबी, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) पर लागू होते हैं। इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया को, कारण बताओ नोटिस से संबद्ध समस्त सामग्री और सूचनाओं के प्रकटीकरण करना शामिल है; पहचान समिति द्वारा समीक्षा समिति को दिए गए आदेश के विरुद्ध लिखित प्रतिनिधित्व के प्रावधान; और समीक्षा समिति द्वारा उधारकर्ता की व्यक्तिगत सुनवाई, के प्रावधान द्वारा परिष्कृत किया गया है। इरादतन चूक की त्वरित पहचान के लिए, एनपीए के रूप में वर्गीकृत होने के छह माह के भीतर इरादतन चूक की पहचान करने हेतु सभी एनपीए खातों की समीक्षा निर्धारित की गई है। उक्त निर्देश आईबीसी प्रक्रिया के तहत समाधान प्रक्रिया अथवा ऋण समनुदेशन के बाद इरादतन चूककर्ता खातों के प्रशोधन पर भी स्पष्टता प्रदान करते हैं।

ऋण सूचना रिपोर्टिंग

VI.37 ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर आरई को जारी मौजूदा निर्देशों को एक ही दिशा में समेकित किया गया है ताकि ऋण सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार के लिए एक मानकीकृत रुपरेखा स्थापित किया जा सके, संवेदनशील क्रेडिट डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का बचाव किया जा सके, उपभोक्ताओं

को उनकी ऋण सूचना तक पहुँचने की प्रणालियाँ दी जा सके और संबंधित मामलों पर शिकायत निवारण किया जा सके। इस संबंध में मास्टर निर्देश 6 जनवरी, 2025 को जारी किया गया है।

परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता बढ़ाना

VI.38 भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामकीय मार्गदर्शन को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के सिद्धांतों, अर्थात (ए) परिचालन जोखिम के सुदृढ़ प्रबंधन हेतु सिद्धांतों में संशोधन; और (बी) परिचालन समुत्थानशीलता के सिद्धांतों (दोनों मार्च 2021 में जारी किए गए), के साथ संरेखित करने के लिए, 30 अप्रैल, 2024 को 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन समुत्थानशीलता पर मार्गदर्शन नोट' जारी किया गया था। यह आरई[5] को उनकी परिचालन जोखिम प्रबंधन संरचना को मजबूत करने और उनकी परिचालन समुत्थानशीलता को बढ़ाने के लिए व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि वे व्यवधान के समय भी महत्वपूर्ण परिचालन करने में सक्षम हो सकें। इसे तीन स्तंभों (17 सिद्धांतों से मिलकर) अर्थात, संधान और सुरक्षा[6], समुत्थानशीलता निर्माण[7] और सीख व अनुकूलन[8] पर बनाया गया है। उक्त मार्गदर्शन नोट विभिन्न आकार, प्रकृति, जटिलता, भौगोलिक स्थिति और व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल वाले नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों में सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन समुत्थानशीलता प्रदान करता है।

विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और युक्तिकरण – यूसीबी

VI.39 भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता और समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं। इनमें से कुछ विवेकपूर्ण मानदंड ऋण संकेन्द्रण जोखिम को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों में जोखिम को कम करने और अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले एक्सपोजर के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन मानदंडों में, अन्य बातों के साथ, छोटे मूल्य के ऋणों से संबंधित शर्तें, आवास और अचल संपत्ति ऋणों पर जोखिम की अधिकतम सीमा और प्रतिभूति रसीद (एसआर) में निवेश के लिए प्रावधान आवश्यकताएं शामिल हैं। इन मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने और इस प्रकार विनियामकीय उद्देश्यों को कमजोर किए बिना यूसीबी को अधिक परिचालन समुत्थानशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से, उपरोक्त विवेकपूर्ण मानदंडों की दिनांक 24 फरवरी, 2025 के परिपत्र के माध्यम से समीक्षा की गई है। उक्त समीक्षा में लघु मूल्य ऋणों की गतिशील और स्थिर ऊपरी सीमा को क्रमशः टियर-I पूंजी के 0.2 प्रतिशत से बढ़ाकर टियर-I पूंजी का 0.4 प्रतिशत और ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करना शामिल है; कुल आस्तियों के बजाय कुल ऋण और अग्रिमों के संदर्भ में व्यक्तियों को आवास ऋण के लिए समग्र जोखिम सीमाओं को युक्तिसंगत बनाना और अचल संपत्ति ऋणों के लिए एक सख्त सीमा; टियर-3 और टियर-4 यूसीबी के लिए व्यक्तिगत आवास ऋणों पर बढ़ी हुई मौद्रिक सीमा; और यूसीबी को एआरसी को हस्तांतरित आस्तियों की तुलना में धारित एसआर पर मूल्यांकन विभेदक प्रदान करने की निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि में 2027-28 तक दो वर्ष का अतिरिक्त विस्तार करना शामिल हैं।

लघुवित्त ऋणों पर जोखिम भार की समीक्षा

VI.40 16 नवंबर, 2023 के परिपत्र 'उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण पर विनियामकीय उपाय' के अनुसार, आवास, शिक्षा, वाहन ऋण और सोने द्वारा प्रतिभूत ऋणों को छोड़कर उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार बढ़ाकर

[5] वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक यूसीबी/राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)/केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी), एआईएफआई और एनबीएफसी (एचएफसी सहित)।

[6] अभिशासन और परिचालन जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।

[7] व्यवधान की स्थिति में महत्वपूर्ण परिचालनों का प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय निरंतरता, घटना प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं।

[8] प्रकटीकरण और सीखे गए अभ्यासों के माध्यम से फीडबैक लूप के निर्माण के लिए।

125 प्रतिशत कर दिया गया था। 25 फरवरी, 2025 के परिपत्र के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि उपभोक्ता ऋण की प्रकृति के लघुवित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत जोखिम भार होगा। अन्य लघुवित्त ऋणों को विनियामकीय खुदरा पोर्टफोलियो (आरआरपी) के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और उन्हें 75 प्रतिशत का जोखिम भार दिया जा सकता है, बशर्ते कि बैंक उक्त आरआरपी के योग्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए उचित नीतियां लागू करें। इसके अलावा, आरआरबी और एलएबी द्वारा दिए गए सभी लघुवित्त ऋणों पर 100 प्रतिशत का जोखिम भार लगेगा।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.41 2025-26 के दौरान, विभाग निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- आरई को 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान' पर सुसंगत विनियमन जारी करना;
- ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जारी सभी गैर-निधि आधारित आकस्मिक सुविधाओं की व्यापक समीक्षा;
- आरई के बीच सभी प्रकार की सह-ऋण व्यवस्थाओं के लिए एक मसौदा विनियामकीय रुपरेखा सार्वजनिक टिप्पणी के लिए 09 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था। उक्त टिप्पणियों की समीक्षा के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
- *दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए रूपरेखा*: जनवरी 2023 में चर्चा-पत्र जारी किया गया था, जिस पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पर, मसौदा रूपरेखा 9 अप्रैल, 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी की गई है और प्राप्त टिप्पणियों की जांच के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाने का प्रस्ताव है;
- संभाव्य ऋण हानि (ईसीएल) रुपरेखा पर मसौदा दिशानिर्देश;
- *बासेल III कार्यान्वयन का अंतिम चरण :* (क) ऋण जोखिम की मानकीकृत पद्धति संबंधी मसौदा दिशानिर्देश जारी करना; (ख) बाजार जोखिम पर अंतिम मसौदा दिशानिर्देश जारी करना; (ग) बीसीबीएस के बासेल III रुपरेखा के अनुरूप स्तंभ 3 अस्वीकरण आवश्यकताओं को अद्यतन करना;
- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (एसए-सीसीआर) के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देश जारी करना;
- मॉडल जोखिम प्रबंधन पर विनियामकीय सिद्धांत;
- बैंकों के लिए जलवायु जोखिम पर विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश जारी करना। इसमें जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के अस्वीकरण पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना तथा जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन शामिल है;
- डेटा रिपोजिटरी का परिचालन - रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का संचालन;
- जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के सिद्धांत जारी करना।;
- हरित जमा की स्वीकृति के लिए रुपरेखा की समीक्षा।;
- संधारणीयता से सम्बद्ध ऋणों पर दिशा-निर्देश;
- वित्तीय उत्पादों और सेवाओं (आरई के साथ-साथ तीसरे पक्ष द्वारा) की गलत बिक्री के निवारण हेतु यथोचित दिशानिर्देश;

- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मास्टर निर्देश पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' जारी करना;
- सभी बैंकों के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पर विनियमों की समीक्षा;
- *टाइप I - एनबीएफ़सी अर्थात गैर-सार्वजनिक निधि एवं ग्राहक इंटरफेस के लिए विशिष्ट विनियामकीय रुपरेखा*;
- किसी भी आरई के विनियमन के जीवन-चक्र दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने हेतु विनियामकीय अनुप्रयोगों के अपने आंतरिक प्रसंस्करण के सम्पूर्ण डिजिटल परिवर्तन को आरंभ करने हेतु विभाग द्वारा 'विनियामकीय आवेदन प्रबंधन प्रणाली' (आरएएमएस) नामक एक मंच का विकास।
- थीम आधारित मास्टर निर्देशों के विनियामकीय मामलों के वर्तमान दिशानिर्देशों का समेकन

फिनटेक विभाग

VI.42 फिनटेक विभाग को यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वह सतर्कता एवं संबंधित जोखिमों के समाधान से युक्त रहते हुए फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का कार्य करे। विभाग ने 2024-25 के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिदेश के अनुसरण में कई उपाय किए हैं।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.43 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- ऑफ़लाइन कार्यक्षमता, प्रोग्रामेबिलिटी, सीमा-पार लेनदेन और आस्तियों के टोकनाइजेशन के साथ-साथ नए डिज़ाइन, तकनीकी विचार और अधिक प्रतिभागियों जैसे नए उपयोग के मामलों को कवर करने के लिए सीबीडीसी पायलटों के दायरे का विस्तार करना (पैराग्राफ VI.44);
- भारत के दुनिया में सबसे बड़ा विप्रेषण प्राप्तकर्ता होने के कारण, टर्नअराउंड समय (टीएटी), दक्षता और पारदर्शिता से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों आधारों पर सीमा-पार भुगतान पर सीबीडीसी पायलट शुरू करने की संभावना तलाशना [पैराग्राफ VI.45];
- अधिक वित्तीय संस्थानों/डेटा सेवा प्रदाताओं और उत्पाद प्रस्तावों के साथ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म [जिन्हें एकीकृत लेंडिग इन्टरफेस नाम दिया गया है] लॉन्च करना (पैराग्राफ VI.46);
- फिनटेक क्षेत्र के एसआरओ (एस) के लिए रुपरेखा लागू करना [पैराग्राफ VI.47];
- फिनटेक के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक रिपोजिटरी की और आरई द्वारा की जाने वाली तकनीकी गतिविधियों की रिपोज़ीटरी की स्थापना और इसके पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को प्रभावी ढंग से समझने के लिए तकनीक से संबंधित गतिविधियों के लिए रिपोजिटरी की स्थापना (पैराग्राफ VI.48);
- अगले वैश्विक हैकथॉन 'हार्बिंगर 2024' का आयोजन (पैराग्राफ VI.49); और
- विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस) के छठे समूह के तहत अभिनव उत्पादों/सेवाओं और प्रौद्योगिकी का परीक्षण [पैराग्राफ VI.50]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.44 सीबीडीसी-आर (आईइ-आर) पायलट व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) के प्रारंभिक उपयोग मामलों के साथ शुरू हुआ। तब से रिज़र्व

बैंक ने ऑफ़लाइन और प्रोग्रामेबिलिटी सुविधाओं का प्रयोग करते हुए कई पायलट शुरू किए हैं। प्रोग्रामेबिलिटी उपयोग के मामलों में कार्बन क्रेडिट के सृजन के बदले किसानों को लाभ हस्तांतरण और चुनिंदा स्थानों पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत काश्तकारों को ऋण देना शामिल था। बैंकों द्वारा कार्मचारियों को ईधन/भोजन के लिए भत्ते दिए जा रहे हैं। ओडिशा राज्य सरकार की सुभद्रा योजना के तहत, लगभग 88,000 लाभार्थियों के लिए भुगतान चैनल के रूप में ई₹ का उपयोग किया गया है। एक निश्चित अंतिम उपयोग को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने हेतु सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए कई केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ भी चर्चा चल रही है।

VI.45 चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय सीमा-पार सीबीडीसी पायलटों की खोज की जा रही है और रोडमैप, तकनीकी आयामों और उपयोग संबंधी मामलों के विषय में प्रगति भी हुई है। बहुपक्षीय सीबीडीसी पहलों में रिज़र्व बैंक की भागीदारी - विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) नवोन्मेष केंद्र के अंतर्गत - पर विचार किया जा रहा है।

VI.46 10 अगस्त 2023 को जारी 'विकास एवं विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य' के तहत एकीकृत लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई), जिसे पूर्व में 'सहज ऋण के पब्लिक टेक मंच (पीटीपीएफ़सी) के रूप में जाना जाता था, के विकास की घोषणा की गई थी। 17 अगस्त 2023 को यूएलआई पाइलट शुरू हुआ। यूएलआई एक उपक्रम-श्रेणी का ऐसा मुक्त-मंच है जो ऋणदाताओं और डेटा सेवा प्रदाताओं को प्लग एंड प्ले मॉडल से परिचालित एक मानकीकृत एपीआई रुपरेखा के माध्यम से जोड़ता है। बैंकों द्वारा कई द्विपक्षीय एकीकरणों की आवश्यकता को समाप्त करके, यूएलआई क्रेडिट मूल्यांकन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डेटा तक पहुंच संभव हो जाती है। 31 मार्च, 2025 तक, डिजिटल केसीसी ऋण, डिजिटल मवेशी ऋण, एमएसएमई ऋण जैसी 12 ऋण यात्राओं के लिए 60 से अधिक डेटा सेवाओं को प्रयुक्त कर, इस प्लेटफ़ॉर्म ने बैंक और एनबीएफ़सी सहित 44 ऋणदाताओं को शामिल किया है। हितधारकों से मिली सीख और सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर, प्लेटफ़ॉर्म के दायरे का विस्तार किया जा रहा है ताकि और अधिक उत्पाद, डेटा प्रदाता और ऋणदाता इसमें शामिल हो सकें।

VI.47 रिज़र्व बैंक ने 15 जनवरी, 2024 को 'फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-विनियामकीय संगठन(ओं) को मान्यता देने संबंधी मसौदा रुपरेखा जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रतिक्रियाएँ आमंत्रित की गई। प्राप्त इनपुट और उनकी जाँच के आधार पर, 'फिनटेक क्षेत्र के एसआरओ(ओं) को मान्यता देने संबंधी रुपरेखा' (एसआरओ-एफटी रूपरेखा) को अंतिम रूप दिया गया और 30 मई, 2024 को इसे जारी किया गया। इस रूपरेखा में फिनटेक एसआरओ की विशेषताएँ और अन्य बातों के साथ-साथ कार्य और शासन मानक भी शामिल हैं। तदनुसार, आवेदन आमंत्रित किए गए और 28 अगस्त, 2024 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से फिनटेक उपभोक्ता सशक्तीकरण संघ (एफ़एसीई) को एसआरओ-एफटी के रूप में मान्यता दी गई।

VI.48 पारंपरिक वित्तीय संस्थानों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित फिनटेक क्षेत्र पर जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से 28 मई, 2024 को एक 'फिनटेक रिपॉजिटरी' लॉन्च की गई थी। लॉन्च की गई फिनटेक रिपॉजिटरी का उद्देश्य फिनटेक संस्थाओं, उनकी गतिविधियों और तकनीकी स्टैक के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र करना है। इसके साथ ही, उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग, वितरित खाता-

बही प्रौद्योगिकी (डीएलटी) को अपनाने के बारे में जानकारी एकत्र करने हेतु आरई के लिए 'एमटेक रिपॉजिटरी' नामक एक संबंधित रिपॉजिटरी भी लॉन्च की गई थी। फिनटेक और एमटेक रिपॉजिटरी सुरक्षित वेब-आधारित अनुप्रयोग हैं और इनका प्रबंधन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा किया जाता है।

VI.49 रिज़र्व बैंक ने 7 जून, 2024 को अपनी वार्षिक वैश्विक हैकाथॉन - 'हार्बिंगर 2024 – रूपान्तरण के लिए नवाचार' का तीसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसमें दो थीम 'शून्य वित्तीय धोखाधड़ी' और 'दिव्यांगों के अनुकूल होना' पर ध्यान केंद्रित किया गया। उक्त हैकाथान में 534 प्रस्तुतियाँ आयीं और उनमें से 39 भारत से बाहर की टीमों से प्राप्त हुई थीं। एक स्वतंत्र निर्णायक मण्डल ने व्यापकता, नवाचार, व्यवहार्यता, मापनीयता और अनुपालन सहित कई मापदंडों के आधार पर विजेताओं का मूल्यांकन और चयन किया।

VI.50 रिज़र्व बैंक वर्ष 2019 से विनियामकीय सैंडबॉक्स रुपरेखा का परिचालान कर रहा है जिसके अंतर्गत अब तक थीम आधारित 4 सहगामी-समूहों[9] की घोषणा और संपादन किया गया (सारणी VI.1)। चौथे सहगामी समूह में तीन संस्थाओं को व्यवहार्य पाया गया। गैर-थीम आधारित पाँचवा सहगामी समूह वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। बंद कर दी गई थीम के लिए सैंडबॉक्स आरएस के अंतर्गत आने वाली ऑन-टैप[10] सुविधा खुली हुई है।

प्रमुख पहलें

एआई की जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता हेतु रुपरेखा (एफ़आरईई-एआई)

VI.51 कंप्यूटिंग शक्ति में तेजी से प्रगति और डिजिटल डेटा की विशाल उपलब्धता से प्रेरित होकर, एआई और एमएल प्रौद्योगिकियों ने हाल के वर्षों में बढ़ती रुचि और महत्वपूर्ण प्रगति देखी है और वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय संस्थानों ने इन प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाया है। रिज़र्व बैंक अपने स्वयं के कार्यों में एआई/एमएल-संचालित समाधानों की खोज और कार्यान्वयन कर रहा है। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2024 में एक बाहरी समिति का गठन किया है जिसमें वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक सक्षमता हेतु रुपरेखा की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) और उभरती प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक सम्मेलन

VI.52 अपनी स्थापना के 90वें वर्ष के समारोह के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 26-27 अगस्त, 2024 को बेंगलुरु में 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों' पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 28 केंद्रीय बैंकों और विश्व बैंक, आईएमएफ़, बीआईएस नवाचार केंद्र और

सारणी VI.1 : विनियामकीय सैंडबॉक्स - अब तक का अनुभव

(संख्या)

सहगामी-समूह	विषय	प्राप्त एप्लिकेशन	परीक्षण के लिए चयनित	सफलतापूर्वक निर्गमित
1	2	3	4	5
1	खुदरा भुगतान	32	6	6
2	सीमा-पर के भुगतान	27	8	4
3	एमएसएमई उधार	22	8	5
4	वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और न्यूनीकरण	9	6	3
5	थीम न्यूट्रल	22	5	परीक्षण जारी है
ऑन-टैप	बंद सहगामी समूह	11	3	2

[9] 'खुदरा भुगतान', 'सीमा-पर भुगतान', 'एमएसएमई उधार' और 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम एवं न्यूनीकरण।'

[10] रिज़र्व बैंक ने 9 अप्रैल, 2025 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से आरएस के तहत 'ऑन-टैप' सुविधा के हिस्से के रूप में 'थीम न्यूट्रल' अनुप्रयोगों को अनुमति दी।

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के 81 प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल थे।

VI.53 नीतिगत पहलों के संप्रेषण, नए उत्पादों/सेवाओं को समझने, नए नवाचारों के बारे में जानकारी जुटाने और समाधान की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से फिनटेक विभाग नियमित रूप से फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संरचित और व्यक्तिगत आधार पर जुड़ा हुआ है। इससे नीतिगत सहायता प्राप्त करने वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। 2024-25 के दौरान, 486 संवाद आयोजित किए गए जिनमें 22 संरचित समूह संवाद शामिल थे। रोटेशन और मासिक अंतराल पर विभिन्न शहरों में 'फिंटरैक्ट' के आयोजन के साथ 'फिनक्वायरी' एक ऐसी पहल है जो फिनटेक कंपनियों को मुक्त पूछताछ, नीति स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मुंबई में फिनटेक विभाग का दौरा करने का अवसर प्रदान करती है। अप्रैल 2024 से, रिज़र्व बैंक ने फिनटेक कंपनियों के 965 से अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए 12 संरचित 'फिंटरैक्ट' संवाद और 300 सहभागियों को शामिल करते हुए 'फिंक्वायरी' (जून 2024 से) के माध्यम से 10 मुक्त संवाद आयोजित किए गए। रिज़र्व बैंक ने जून 2024 में 'फिनकनेक्ट' नाम से एक पहल भी शुरू की, जिसका उद्देश्य आरएस और हार्बिंगर से सफल संस्थाओं को ऐसे समाधानों के संभावित उपयोगकर्ताओं जैसे बैंकों, एनबीएफसी और अलग से निवेशकों के साथ जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

आरबीआईएच पहल – म्यूल बैंक खातों की पहचान करने के लिए एआई/एमएल-आधारित समाधान (एमयूएलईएचयूएनटीईआर.एआई[टीएम])

VI.54 म्यूल खातों का समय पर पता लगाने के उद्देश्य से, आरबीआईएच ने 'एमयूएलईएचयूएनटीईआर.एआई[टीएम]' विकसित किया है, जो म्यूल खातों की तात्कालिक पहचान के लिए डिज़ाइन किया गया एक पर्यवेक्षित एमएल मॉडल है। यह मॉडल डेटा से म्यूल खाता गतिविधि के पैटर्न को जानने के लिए उन्नत आई/अल तकनीकों का प्रयोग करता है जिससे पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक सटीकता प्राप्त होती है। इस समाधान का परीक्षण और परिनियोजन वर्तमान में चुनिंदा पीएसबी में किया जा रहा है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.55 2025-26 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सीबीडीसी के दायरे और कवरेज का विस्तार करना और नए उपयोग के मामलों और सुविधाओं को पेश करना।
- यूएलआई में व्यवसाय-से-ग्राहक (बी2सी) कार्यक्षमता शुरू करना।
- 'एमयूएलईएचयूएनटीईआर.एआई[टीएम]' का विस्तार करना;
- वित्तीय क्षेत्र में एआई के जिम्मेदार और नैतिक अंगीकार हेतु एक रूपरेखा तैयार करना; और

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)

VI.56 पर्यवेक्षण विभाग को सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, भुगतान बैंक (पीबी), एसएफबी, सीआईसी, एआईएफआई, यूसीबी, एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.57 विभाग ने वर्ष के दौरान एससीबी, एलएबी, पीबी, एसएफबी, सीआईसी और एआईएफआई के प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए कई उपाय किए।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.58 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- एससीबी की साइबर घटना प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए साइबर क्षेत्र की स्थापना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.59]; और

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके सूक्ष्म-डेटा विश्लेषण और अन्य समान उपयोग मामलों पर सुपटेक डेटा उपकरणों के एक समूह द्वारा पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.60]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.59 परियोजना के कार्यान्वयन के दृष्टिकोण को रिज़र्व बैंक के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) की आवश्यकता के अनुसार पुनः कार्यनीतिबद्ध किया गया। उक्त परियोजना को अब बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा डीआईटी और डीओएस के समन्वय से क्रियान्वित किया जाना है और इसका उद्देश्य आईडीआरबीटी और अन्य हितधारकों द्वारा संचालित मौजूदा साइबर अभ्यासों के बीच तालमेल बढ़ाना है। यह कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है।

VI.60 विभाग ने एआई/एमएल जैसी तकनीकों के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषण समूह (एएसएजी) की स्थापना की है, जिसने कई उन्नत विश्लेषण मॉडल (सूक्ष्म-डेटा विश्लेषिकी, शासन-प्रणाली आकलन मॉडल, सोशल मीडिया निगरानी मॉडल, धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक, उधारकर्ता भेद्यता मॉडल और आस्ति गुणवत्ता भविष्य-कथन मॉडल) विकसित किए हैं। विभाग ऐसे और मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में है।

अन्य पहलें

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.61 पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों का आकलन यह दर्शाता है कि ऐसे अधिकतम मामले निजी क्षेत्र के बैंकों में हुए एवं धोखाधड़ी-मामलों की अधिकतम राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पाई गई (सारणी VI.2)। उक्त धोखाधड़ी मामले, संख्या के संदर्भ में मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान (कार्ड/इंटरनेट) की श्रेणी में और मूल्य के संदर्भ में मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो (अग्रिम) में देखे गए हैं [सारणी VI.3]। निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या में छोटे मूल्य के कार्ड/इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी के मामले अधिक थे और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के मामले मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में हुए थे। वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान रिपोर्ट की गई कुल धोखाधड़ी में शामिल राशि में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए 18,674 करोड़ रुपये की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी वर्गीकरण को हटाने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने और पुनः जांच के बाद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए सिरे से रिपोर्ट करने के कारण हुई।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.62 विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दबाव के दौर में भी बैंकों में चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु नकदी प्रवाह विश्लेषण विकसित करके एससीबी के चलनिधि दबाव परीक्षणों को सुदृढ़ करना। यह प्रक्रिया किसी बैंक की चलनिधि स्थिति पर, चरम लेकिन संभावित परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन यह ध्यान में रखते हुए करेगी कि संकट के दौरान भी उक्त चलनिधि से बैंक के दायित्वों का पूर्ण होना सुनिश्चित हो । इससे हमें दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य और प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंकों की चलनिधि स्थिति की स्थिरता का आकलन मिल सकेगा। दुर्बलताओं की पहचान और पर्याप्त चलनिधि बफर सुनिश्चित करके, दबाव परीक्षण बैंकों की समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह/संस्था	2022-23		2023-24		2024-25	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	3,331	12,557	7,460	9,254	6,935	25,667
	(24.7)	(66.2)	(20.7)	(75.6)	(29.0)	(71.3)
निजी क्षेत्र के बैंक	8,971	5,206	24,207	2,722	14,233	10,088
	(66.4)	(27.4)	(67.2)	(22.3)	(59.4)	(28.0)
विदेशी बैंक	804	292	2,899	154	1,448	181
	(6.0)	(1.5)	(8.0)	(1.3)	(6.0)	(0.5)
वित्तीय संस्थान	9	888	1	1	2	13
	(0.1)	(4.7)	-	-	-	-
लघु वित्त बैंक	311	31	1,019	64	1,217	58
	(2.3)	(0.2)	(2.8)	(0.5)	(5.1)	(0.2)
भुगतान बैंक	68	7	472	35	113	6
	(0.5)	-	(1.3)	(0.3)	(0.5)	-
स्थानीय क्षेत्र बैंक	0	0	2	0	5	1
	-	-	-	-	-	-
कुल	**13,494**	**18,981**	**36,060**	**12,230**	**23,953**	**36,014**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

-: शून्य/नगण्य।

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. आंकड़े इस अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा संपादित संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

4. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।

5. रिपोर्ट की गई राशि में हुए नुकसान की राशि नहीं दिखाई गई है। वसूली के आधार पर, हुआ नुकसान कम हो जाता है। इसके अलावा, यह भी जरूरी नहीं है कि इसमें शामिल पूरी राशि को उद्देश्य से इतर लगाया गया हो।

6. *भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य* के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुसार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण 31 मार्च, 2025 तक बैंकों द्वारा ₹ 1,12,911 करोड़ की राशि के 783 धोखाधड़ी के मामले वापस ले लिए गए।

7. वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित डेटा में पिछले वित्त वर्षों से संबंधित ₹18,674 करोड़ की राशि के 122 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जिसे पुनः जांच के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान नए सिरे से रिपोर्ट किया गया है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

और प्रणालीगत जोखिमों को रोकने में सहायता करेगा;

- पीबी और एसएफबी के लिए पर्यवेक्षी रुपरेखा को और मजबूत करना;
- डिजिटल सेवाएं ग्राहकों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण चैनल हैं और इन चैनलों की समुत्थानशीलता सुनिश्चित करना अति-महत्वपूर्ण है। आरई में डिजिटल चैनलों की परिचालन समुत्थानशीलता के लिए विशिष्ट मापदंडों के साथ एक रुपरेखा तैयार किया जाएगा;
- डिजिटल फोरेंसिक तत्परता पर दिशानिर्देश जारी करना; और
- बैंकों के ग्राहकों के हित में, चुनिंदा डिजिटल सेवाओं के अपटाइम पर अति-तात्कालिक व्यू और विश्लेषण प्रदान करने के लिए, एक गतिशील ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा और बैंकों को चरणबद्ध तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.63 विभाग ने वर्ष के दौरान यूसीबी के प्रदर्शन की निगरानी करने के अपने उद्देश्य को जारी रखा तथा सुरक्षित और

सारणी VI.3: धोखाधड़ी के मामले - परिचालन क्षेत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

संचालन का क्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	4,021	17,542	4,118	10,072	7,950	33,148
	(29.8)	(92.4)	(11.4)	(82.4)	(33.2)	(92.1)
तुलन-पत्र से इतर	13	280	11	256	8	270
	(0.1)	(1.5)	-	(2.1)	-	(0.7)
विदेशी मुद्रा लेनदेन	13	12	19	38	23	16
	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.3)	(0.1)	-
कार्ड/इंटरनेट	6,699	278	29,082	1,457	13,516	520
	(49.7)	(1.5)	(80.6)	(11.9)	(56.5)	(1.4)
जमाराशि	652	259	2,002	240	1,208	527
	(4.8)	(1.4)	(5.6)	(2.0)	(5.0)	(1.5)
अंतर-शाखा खाते	3	0	29	10	14	26
	-	-	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
नकद	1,485	159	484	78	306	39
	(11.0)	(0.8)	(1.3)	(0.6)	(1.3)	(0.1)
चेक/डीडी *इत्यादि।*	118	25	127	42	122	74
	(0.9)	(0.1)	(0.4)	(0.3)	(0.5)	(0.2)
समाशोधन खाते	18	3	17	2	6	2
	(0.1)	-	-	-	-	-
अन्य	472	423	171	35	800	1,392
	(3.5)	(2.2)	(0.5)	(0.3)	(3.3)	(3.9)
कुल	**13,494**	**18,981**	**36,060**	**12,230**	**23,953**	**36,014**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

-: शून्य/नगण्य।

नोट: 1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. सारणी VI.2 के फुटनोट 2-7 देखें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी।

सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निर्माण हेतु प्रयास किए।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.64 विभाग ने 2024-25 में शहरी सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- साइबर/आईटी जोखिम मूल्यांकन को मजबूत करना (पैराग्राफ VI.65)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.65 डिजिटल भुगतान सेवाएँ प्रदान करने वाले लेवल II यूसीबी[11] के एक समूह को भारतीय कंप्यूटर आपातकाल अनुक्रिया दल (सीईआरटी-आईएन) के पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों के माध्यम से अंतराल आकलन करने हेतु सूचित किया गया है। यूसीबी विभिन्न सेवाओं जैसे डेटा केंद्रों में सर्वर की मेजबानी, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) स्विच, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस), कार्ड प्रबंधन और मोबाइल बैंकिंग के लिए अन्य-

[11] लेवल II यूसीबी की परिभाषा के लिए कृपया 31 दिसंबर, 2019 को जारी रिज़र्व बैंक के परिपत्र 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा रुपरेखा - एक ग्रेडेड दृष्टिकोण' का संदर्भ लें।

पक्ष आईटी सेवा प्रदाताओं (आईटीएसपी) की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। साइबर जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए, सीईआरटी-आईएन के पैनलबद्ध लेखापरीक्षक के माध्यम से चुनिंदा यूसीबी द्वारा तीन ऐसे सामान्य आईटीएसपी की समूहित लेखापरीक्षा की गई। यूसीबी को जारी किए गए साइबर सुरक्षा संबंधी निर्देशों को समेकित किया गया है और एक अद्यतन रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अन्य पहल

केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए यूसीबी का जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए)

VI.66 आरबीए के तहत यूसीबी के कवरेज को चतुःस्तरीय विनियामकीय संरचना के साथ संरेखित किया गया और टियर 3 और टियर 4 यूसीबी को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया, जो इस क्षेत्र के कुल जमा आकार का लगभग 60 प्रतिशत है।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा

VI.67 रिज़र्व बैंक ने 26 जुलाई, 2024 को यूसीबी की पीसीए रूपरेखा पर दिशा-निर्देश जारी किए, जो पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा (एसएएफ) पर पहले जारी किए गए निर्देशों को प्रतिस्थापित करते हैं। संशोधित रूपरेखा मामला-दर-मामला आधार पर जोखिमों के आकलन पर आधारित इकाई-विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाई योजनाओं को रूप देने के लिए समुत्थानशीलता प्रदान करना चाहता है। पीसीए के प्रावधान 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे। पीसीए रूपरेखा को टियर 2, टियर 3 और टियर 4 के सभी यूसीबी पर लागू किया गया है, सिवाय उन शहरी सहकारी बैंकों के जो सर्व-समावेशी निर्देशों[12] के अंतर्गत आते हैं। टियर 1 यूसीबी को अभी पीसीए रूपरेखा से बाहर रखा गया है। हालांकि, मौजूदा पर्यवेक्षी रूपरेखा के तहत उन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। संशोधित पीसीए रूपरेखा में निगरानी के लिए पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता प्रमुख क्षेत्र हैं। इस रूपरेखा को एससीबी और एनबीएफसी के लिए लागू समान रूपरेखा के साथ उपयुक्त रूप से सुसंगत बनाया गया है और इसमें आनुपातिकता के अंतर्निहित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। यह काफी हद तक सिद्धांत-आधारित है। इस रूपरेखा में एसएएफ की तुलना में कम मानदंड हैं लेकिन यह पर्यवेक्षी कठोरता को बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.68 विभाग ने 2025-26 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- चुनिंदा यूसीबी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- यूसीबी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में स्थानांतरण की जांच करना; और
- साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर अद्यतन दिशा-निर्देश जारी करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)

VI.69 विभाग द्वारा रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी पर कड़ी निगरानी रखी गई।

अन्य पहल

केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए एनबीएफसी का जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए)

VI.70 आरबीए के तहत, एनबीएफसी को शामिल करने के मानदंड की समीक्षा की गई और पैमाने-आधारित विनियमों के साथ संरेखित किया गया। तदनुसार, सभी ऊपरी लेयर के एनबीएफसी और मध्य लेयर में ₹ 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले एनबीएफ़सी आरबीए में शामिल हैं।

[12] सार्वजनिक हित में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध सर्व-समावेशी निर्देश कहलाते हैं। उक्त निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत जारी किए गए हैं।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.71 विभाग ने 2025-26 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- चुनिंदा एनबीएफसी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- थीम मूल्यांकन के रूप में, मौजूदा विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का आरई द्वारा किए गए अनुपालन का आकलन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे ऋणों के ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज दर नहीं ली जा रही है; और
- एनबीएफसी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में स्थानांतरण की जांच करना।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.72 एक एकीकृत डीओएस का परिचालन किया गया है, जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का पर्यवेक्षण एक छत्र विभाग के तहत समग्र तरीके से किया जा रहा है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.73 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- आरई में सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा रुपरेखा की जांच करना (पैराग्राफ VI.74);
- आरई के लिए डेटा अभिशासन रुपरेखा की जांच करना (पैराग्राफ VI.75);
- परोक्ष विवरणी के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) विकसित करना (पैराग्राफ VI.76); और
- प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के साथ परोक्ष विश्लेषिकी का गहन एकीकरण (पैराग्राफ VI.77)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.74 साइबर सुरक्षा पर स्थायी समिति के अंतर्गत एक आईएस लेखापरीक्षा उप-समूह तैयार किया गया जिसमें आईएस लेखापरीक्षा पेशे के विशेषज्ञों और उद्योग व शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व शामिल है। उप-समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और उचित कार्रवाई के लिए सिफारिशों की जांच की जा रही है।

VI.75 स्थानीयकरण और डेटा गोपनीयता सहित डेटा अभिशासन पहलुओं की जांच डेटा अभिशासन पर एक आंतरिक अंतर-विभागीय समूह द्वारा की जा रही है। हालांकि 'डिजिटल निजी डेटा सुरक्षा अधिनियम' अगस्त, 2023 में लागू किया गया था, लेकिन अधिनियम से संबंधित नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, और उप-समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले उनकी जांच की जाएगी।

VI.76 विभिन्न एसई में जोखिम डेटा एकत्रीकरण क्षमताओं और जोखिम रिपोर्टिंग प्रथाओं में कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए पर्यवेक्षी डीक्यूआई (एसडीक्यूआई) को विकसित किया गया था। विभिन्न विवरणियों के माध्यम से एसई द्वारा डीओएस को प्रस्तुत किए गए डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए इस एसडीक्यूआई मॉडल का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक तिमाही में यह मॉडल एसई-वार और समग्र एसडीक्यूआई गणना सृजित करता है। विभिन्न एसई द्वारा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार/गिरावट की पहचान करने के लिए एसडीक्यूआई स्कोर में बदलाव की निगरानी की जा रही है।

VI.77 पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए एक संरचित रुपरेखा के साथ-साथ विभाग के विभिन्न समूहों के बीच फीडबैक लूप के रूप में एक तंत्र मौजूद है।

अन्य पहलें

एसई के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण को मजबूत करने की कार्यनीति

VI.78 2020 में 'केवाईसी/एएमएल जोखिमों के लिए पर्यवेक्षी मूल्यांकन (एसएकेएआर)' रुपरेखा के माध्यम से कार्यान्वित

एसई के विशेष केवाईसी/एएमएल जोखिम मूल्यांकन, परोक्ष जोखिम मूल्यांकन के तहत एसई के कवरेज में वृद्धि; उन एसई का निरीक्षण जो पहले केवाईसी/एएमएल/आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिमों के लिए प्रत्यक्ष जांच के अधीन नहीं थे; और उभरते जोखिमों के क्षेत्रों पर विषयगत मूल्यांकन से और सुदृढ़ हुआ। पर्यवेक्षी कार्यनीति को भी प्रमुख कमियों और अननुपालन के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पुनः उन्मुख किया गया है। उक्त कार्यनीति को, विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, जैसे कि ग्राहक का यथोचित अध्यवसाय जांच व प्रणालीगत स्तर पर लेनदेन की निगरानी और लक्षित आकलन एवं एसई के साथ घनिष्ठ जुड़ाव के माध्यम से केवाईसी/एएमएल/टीएफ जोखिमों को अधिक केंद्रित तरीके से कम करने के लिए पुनरुन्मुख किया गया। इसके अलावा, पर्यवेक्षी संसाधनों का अधिक कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए, छोटे एसई के डेस्कटॉप आकलन भी शुरू किए गए हैं।

धोखाधड़ी निगरानी विवरण और चोरी, सेंधमारी, डकैती व लूट विवरण

VI.79 ऊपरी लेयर, मध्य लेयर और आधार लेयर (500 करोड़ रुपये और उससे अधिक की आस्ति आकार के साथ) में वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और यूसीबी को 18 नवंबर, 2024 से सीआईएमएस पर धोखाधड़ी और चोरी, सेंधमारी, डकैती और लूट विवरण के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

सीमा-पार पर्यवेक्षी सहयोग

VI.80 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने प्रमुख वैश्विक अधिकार क्षेत्रों में अधिकारियों के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करके और उन्हें गहरा करके अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग को सक्रिय रूप से मजबूत किया। इन प्रयासों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ाना है (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.2

सीमा पार सहयोग के माध्यम से पर्यवेक्षी आयामों की खोज

अत्यधिक वैश्वीकृत और परस्पर जुड़ी वित्तीय प्रणाली में घरेलू और मेजबान देश के अधिकारियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूहों का समेकित पर्यवेक्षण आवश्यक है। कई अधिकार क्षेत्रों में सीमा पार बैंकिंग परिचालनों के बढ़ते पैमाने और जटिलता वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। जबकि बैंक अपने व्यवसाय का विस्तार करने और निवेश आकर्षित करने के लिए अपतटीय केंद्रों का लाभ उठाते हैं, जिम्मेदार पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय परिचालन घरेलू अधिकार क्षेत्रों के मानकों को पूरा करते हैं, जिससे जोखिम संचय और संक्रमण को रोका जा सके।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए अपने मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सिद्धांत 3 (सहयोग और सहभागिता) और सिद्धांत 11 (घर-मेजबान संबंध) में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। ये सिद्धांत विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करते हैं, जो दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दुनिया भर में पर्यवेक्षक औपचारिक समझौतों, द्विपक्षीय आदान-प्रदान और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से सीमा पार सहयोग में तेजी से शामिल हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग के महत्व को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने औपचारिक व्यवस्थाएँ स्थापित की हैं, जिनमें विदेशी प्राधिकरणों के साथ 47 समझौता ज्ञापन (एमओयू) शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण भारतीय बैंक संचालन वाले प्रमुख क्षेत्राधिकारों को कवर करते हैं। ये व्यवस्थाएँ प्रत्यक्ष निरीक्षण, पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग और समन्वित संकट प्रतिक्रियाओं की सुविधा प्रदान करती हैं।

सीमा पार बैंकिंग समूहों के पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए, सहयोग, समन्वय और सूचना साझा करने के लिए एक मंच के रूप में पर्यवेक्षी कॉलेजों को औपचारिक रूप दिया गया। रिज़र्व बैंक ने 2012 में भारतीय स्टेट

(जारी)

बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए अपना पहला पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किया, बाद में इसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक तक विस्तारित किया। ये कॉलेज भारत में द्विवार्षिक रूप से आयोजित होते हैं, जिससे घरेलू और मेजबान पर्यवेक्षकों को प्रमुख पर्यवेक्षी चिंताओं और जोखिमों को संबोधित करने में मदद मिलती है। इसी तरह, रिज़र्व बैंक भारतीय परिचालन वाले विदेशी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिनकी मेजबानी उनके संबंधित घरेलू पर्यवेक्षकों द्वारा की जाती है।

वैश्विक सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क के पर्यवेक्षक गोलमेज का एक सक्रिय सदस्य है, जिसमें 18 क्षेत्राधिकारों की 24 एजेंसियाँ शामिल हैं। बहुपक्षीय जुड़ावों के अलावा, रिज़र्व बैंक ने यू.के. के वित्तीय आचरण प्राधिकरण और प्रूडेंशियल विनियमन प्राधिकरण, सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण और माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण जैसे प्राधिकरणों के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय पर्यवेक्षी आदान-प्रदान शुरू किया है। ये आदान-प्रदान जलवायु जोखिम, सुपटेक, तृतीय-पक्ष आउटसोर्सिंग और परिचालन समुत्थानशीलता सहित उभरते जोखिमों पर व्यापक ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, आईटी-आधारित जोखिमों और डिजिटल धोखाधड़ी के विरुद्ध तैयारी बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक परिचालन समुत्थानशीलता और साइबर-सुरक्षा में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।

स्रोत: आरबीआई।

स्वर्ण ऋण

VI.81 हाल ही के वर्षों में स्वर्ण ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि की पृष्ठभूमि में, पर्यवेक्षण और विनियमन विभाग ने संयुक्त रूप से विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के पालन की समीक्षा की, साथ ही स्वर्ण आभूषणों और आभूषणों को गिरवी रखकर ऋण देने के संबंध में चुनिंदा एसई द्वारा अपनाई जा रही प्रथाओं की भी समीक्षा की। समीक्षा और प्रत्यक्ष निरीक्षण के निष्कर्षों ने कई अनियमित प्रथाओं का संकेत दिया जैसे: (i) ऋण के स्रोत और मूल्यांकन के लिए अन्य पक्षकार के उपयोग में कमियां; (ii) ग्राहक की उपस्थिति के बिना सोने का मूल्यांकन; (iii) अपर्याप्त परिश्रम और अंतिम उपयोग की निगरानी का अभाव; (iv) ग्राहक द्वारा चूक किए जाने पर स्वर्ण के आभूषणों और आभूषणों की नीलामी के दौरान पारदर्शिता की कमी; (v) मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) की निगरानी में सीमाएं; और (vi) जोखिम-भार का गलत अनुप्रयोग। एसई को 30 सितंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। कि वे स्वर्ण ऋण पर अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समीक्षा करें ताकि कमियों की पहचान की जा सके और समयबद्ध तरीके से उचित उपचारात्मक उपाय शुरू किए जा सकें। पोर्टफोलियो की बारीकी से निगरानी करने और आउटसोर्स गतिविधियों और अन्य-पक्षकार सेवा प्रदाताओं पर पर्याप्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए भी एसई को सूचित किया गया है।

आरई के लिए साइबर सुरक्षा से संबंधित उपाय

VI.82 साइबर सुरक्षा को एक प्रमुख परिचालन जोखिम के रूप में आकलित किया जाता रहा है। साइबर घटना निगरानी रुपरेखा को अद्यतन किया गया और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग पर आरई को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने और मौजूदा जोखिम शमन उपायों में सुधार करने के लिए आईटी अभिशासन, अन्य-पक्ष के आईटी सेवा प्रदाताओं और आईटी/सूचना तंत्र (आईएस) विनियमों पर तुलनात्मक अध्ययन सहित विषयगत अध्ययन किए गए। एसई की साइबर समुत्थानशीलता क्षमताओं का आकलन करने के लिए फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास जैसे उन्नत पर्यवेक्षी उपकरणों का उपयोग किया गया है। अद्यतन जोखिम वातावरण के आधार पर यूसीबी की आईएस लेखापरीक्षा, फोरेंसिक तत्परता और साइबर सुरक्षा के संशोधित दिशा-निर्देशों संबंधी रुपरेखा पर काम किया जा रहा है।

आरई में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

VI.83 रिज़र्व बैंक ने 15 जुलाई, 2024 को आरई के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित मास्टर निर्देश

जारी किए। उक्त संशोधित निर्देश सिद्धांत-आधारित हैं और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के समग्र शासन और निगरानी में बोर्ड की भूमिका को मज़बूत करते हैं। आरई में धोखाधड़ी का जल्द पता लगाने और रोकथाम के साथ-साथ कानून प्रवर्तन संस्थाओं और पर्यवेक्षकों को समय पर रिपोर्ट करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों (ईडब्ल्यूएस) और खातों की रेड फ्लैगिंग (आरएफए) के रुपरेखा को और सुदृढ़ किया गया है। मास्टर निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि, अब व्यक्तियों/संस्थाओं को कपटपूर्ण संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करने से पहले समयबद्ध तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करना आरई के लिए आवश्यक है और इसमें 27 मार्च, 2023 को दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये निर्देश आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंकों और एचएफ़सी पर भी लागू किए गए हैं।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.84 विभाग ने 2025-26 में सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- आरई में वैधानिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर अद्यतन/समरूप विनियामकीय निर्देशों की समीक्षा और निर्गम करना;
- साइबर जोखिमों के चुनिंदा क्षेत्रों पर विस्तृत विषयगत समीक्षा आयोजित करना;
- वित्तीय संस्थाओं के आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में एकरूपता पर अंतर-विनियामकीय कार्य दल की सिफारिशों को लागू कर एसई की साइबर समुत्थानशीलता और क्षमताओं को बढ़ाना;
- वित्तीय प्रणालियों की साइबर मैपिंग को बढ़ाना तथा चरणबद्ध तरीके से बहुक्षेत्रीय एवं बाजार-व्यापी साइबर संकट सिमुलेशन अभ्यासों का संचालन करना; और
- बेस लेयर में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा रुपरेखा को बढ़ाना।

प्रवर्तन विभाग (ईएफडी)

VI.85 प्रवर्तन विभाग की स्थापना प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग करने, लागू कानून व्यवस्थाओं और उसके तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण को लागू करने और रिज़र्व बैंक में उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में नियमों और विनियमों के साथ आरई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.86 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, प्रवर्तन के लिए एक पैमाना-आधारित रुपरेखा लागू किया जाएगा (पैराग्राफ VI.87)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.87 प्रवर्तन के लिए पैमाना-आधारित रुपरेखा की व्यवहार्यता का अध्ययन और प्राप्त फीडबैक के आधार पर उसकी समीक्षा की जा रही है।

प्रमुख गतिविधियां

VI.88 वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने आरई के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक

द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों और क़ानून के प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन[13] के लिए कुल ₹ 54.78 करोड़ के 353 जुर्माने लगाए (सारणी VI.4)।

VI.89 रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई को युक्तिसंगत और समेकित करने के उद्देश्य से, भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत प्रवर्तन संबंधी कार्य (यानी, मौद्रिक जुर्माना और समझौता करना) को विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया और पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत प्रवर्तन कार्रवाई के लिए रूपरेखा पर परिपत्र 30 जनवरी, 2025 जारी किया गया है।

सारणी VI.4: प्रवर्तन कार्रवाई (अप्रैल 2024-मार्च 2025)

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	8	11.11
निजी क्षेत्र के बैंक	15	14.80
विदेशी बैंक	6	3.52
भुगतान बैंक	1	0.27
लघु वित्त बैंक	2	0.72
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	6	0.59
सहकारी बैंक	264	15.63
गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं/ आस्ति पुनर्निर्माण संस्थाएं	37	7.29
ऋण सूचना कंपनियां	1	0.02
आवास ऋण कंपनिया	13	0.83
कुल	**353**	**54.78**

स्रोत: आरबीआई।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.90 2025-26 के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है:

- पूर्व के अनुभव के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई की मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

5. उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.91 सीईपीडी का कार्य आरई के स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का निर्माण; आरई के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी; ओम्बुड्स्मैन कार्यालयों के माध्यम से 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बुड्स्मैन योजना, 2021' (आरबी-आईओएस) का नियंत्रण; क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण प्रकोष्ठों के निष्पादन की देखरेख; तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा[14] एवं संरक्षण पर मौजूदा विनियमों, साथ ही ग्राहक शिकायतों के निवारण के तरीकों पर जन जागरूकता पैदा करना है।

2024-25 के लिए कार्यसूची

VI.92 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे:

- शिकायत दर्ज करने में सहायता करने और निर्णयों एवं परिणामों में अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने

[13] उदाहरण के तौर पर, उनमें से कुछ में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26ए से संबंधित अतिक्रमण/उल्लंघन; बैंकों के साइबर सुरक्षा रुपरेखा; एक्सपोजर मानदंड और आईआरएसी मानदंड; भारतीय रिज़र्व बैंक [अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)] निर्देश, 2016; भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफआई द्वारा धोखाधड़ी का वर्गीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016; सीआरआईएलसी पर सूचना रिपोर्टिंग; ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को ऋण सूचना प्रस्तुत करना; उपभोक्ता संरक्षण-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में उपभोक्ताओं की देयता को सीमित करना; निदेशक संबंधित ऋण; आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निर्देश, 2010; तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – समकक्षीय उधार मंच (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2017 शामिल हैं।

[14] इस रिपोर्ट के अनुलग्नक III में अप्रैल 2022 से मार्च 2025 के दौरान किए गए उपभोक्ता केंद्रित उपायों की सूची दी गई है।

हेतु शिकायत प्रबंधन प्रणाली में सुधार (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.93];

- आरई के लिए उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स का विकास (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.94];
- ग्राहक सेवा में सुधार के लिए सक्रिय कदम उठाने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक शिकायत निवारण रुपरेखा को सुदृढ़ करना (पैराग्राफ VI.95);
- ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शिकायतों की संख्या कम होने के कारणों का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण करना (पैराग्राफ VI.96); और
- आरई और आरबीआई ओम्बुड्स्मैन (ओआरबीआईओ) के कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर पुनर्निर्देशित राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी) की समीक्षा और लोकार्पण [पैराग्राफ VI.97]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.93 रिज़र्व बैंक चरणबद्ध तरीके से शिकायत प्रबंधन प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) के साथ मिलकर काम कर रहा है। चरण I में शिकायतकर्ताओं के लिए एक संवादात्मक एआई चैटबॉट प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि चरण II में शिकायतों के प्रसंस्करण के लिए अधिक उन्नत सुविधाएँ प्रयुक्त की जाएंगी।

VI.94 रिज़र्व बैंक आरई द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सुरक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण मूल्यांकन मैट्रिक्स (सीओपीएएम) विकसित कर रहा है। चुनिंदा बैंकों के संबंध में मॉडल का पायलट परीक्षण वर्तमान में चल रहा है।

VI.95 जनवरी 2021 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए रुपरेखा जारी की थी। रुपरेखा में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाहरी बैंकों से शिकायत निवारण की लागत की वसूली शामिल है, ताकि बैंकों को अपनी आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्राप्त अनुभव और प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मापदंडों को ठीक करने, तंत्र को मजबूत करने और संबंधित आरई को अपने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उक्त रूपरेखा की समीक्षा की जा रही है।

VI.96 ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों से शिकायतों की कम संख्या के कारणों को समझने और इन क्षेत्रों में जागरूकता के स्तर का आकलन करने के साथ-साथ भूगोल/जनसंख्या विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रमों के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान में सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है।

VI.97 नवंबर 2022 में रिज़र्व बैंक ने आरई के सहयोग से एक माह की अवधि का एनआईएपी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य आबादी के अब तक वंचित और वियुक्त क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना था। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, निरंतर लक्षित दृष्टिकोण के साथ उपभोक्ता जागरूकता प्रयासों को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, जनवरी 2025 से पूरे वर्ष जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शुरू किया गया है।

प्रमुख घटनाक्रम

ओआरबीआईओ में शिकायतों की प्राप्ति

VI.98 2024-25 के दौरान, ओआरबीआईओ में 2.96 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2.93 लाख शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो मामूली वृद्धि दर्शाती

है। शिकायतें मुख्य रूप से बैंकों और उसके बाद एनबीएफसी, गैर-बैंकिंग प्रणाली प्रतिभागियों और सीआईसी के विरुद्ध थीं। इनमें से अधिकांश शिकायतें ऋण/अग्रिम और डिजिटल बैंकिंग उत्पादों से संबंधित हैं।

जागरूकता पहल

VI.99 भारतीय रिज़र्व बैंक के ओम्बुड्स्मैन ने वर्ष 2024-25 में 47 टाउनहॉल बैठकें और 239 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें छात्र, वरिष्ठ नागरिक और स्त्री जैसे विशिष्ट समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, *आधार* सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस), शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और 'डिजिटल गिरफ्तारी' के लिए सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर थीम आधारित मल्टीमीडिया अभियान चलाए गए। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं से संबंधित जागरूकता पुस्तिकाएं वितरित की गईं। रिज़र्व बैंक विभिन्न धोखाधड़ी के तौर-तरीकों और अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को दर्शाने वाली एनिमेटेड लघु फिल्में जारी करने की प्रक्रिया में है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.100 2025-26 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्यों को केंद्र में रखा है :

- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठों, केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र और संपर्क केंद्र सहित 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बुड्स्मैन योजना, 2021' की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0);
- आरईमें शिकायत निवारण रुपरेखा पर मास्टर निर्देश जारी करना; और
- शिकायतों दर्ज करने में बेहतर सहायता करने तथा निर्णयों और परिणामों में अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना (*उत्कर्ष* 2.0)।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.101 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारतीय जमा बीमा योजना का प्रबंधन करती है। डीआईसीजीसी का उद्देश्य बैंकों के जमाकर्ताओं का संरक्षण करना और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना है, जिससे वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है। रिज़र्व बैंक से लाइसेंस-प्राप्त सभी बैंकों (वाणिज्यिक और सहकारी) के लिए जमा बीमा योजना अनिवार्य है। 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,982 थी, जिसमें 139 वाणिज्यिक बैंक (11 एसएफबी, छह पीबीएस, 43 आरआरबी और दो एलएबी सहित) और 1,843 सहकारी बैंक (1,457 यूसीबी, 34 एसटीसीबी और 352 डीसीसीबी) शामिल थे।

VI.102 जमाराशि बीमा की वर्तमान व्याप्ति सीमा 'समान क्षमता और समान अधिकार'[15] श्रेणी में रखे गए बैंक के जमा खातों के लिए ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता है। 30 सितंबर, 2024 तक, व्याप्ति सीमा के तहत पूरी तरह से बीमाकृत जमा खातों की संख्या 286.9 करोड़ (एक साल पहले 281.8 करोड़) थी, जो कुल खातों की संख्या का 97.7 प्रतिशत (एक साल पहले 97.9 प्रतिशत) था। मूल्य के संदर्भ में, कुल बीमाकृत जमा

[15] जमाकर्ता के पास एक या एक से अधिक प्रकार के जमा खाते, बैंक की एक या एक से अधिक शाखाओं में उसके व्यक्तिगत नाम से होने पर जमा खातों को 'समान क्षमता और समान अधिकार' श्रेणी वाले जमा खाते कहा जाता है। इसमें मालिकाना हक वाली संस्था के नाम पर रखी गई जमा राशि भी शामिल है, जहां जमाकर्ता एकमात्र मालिक है। यदि जमाकर्ता के पास किसी फर्म के भागीदार/नाबालिग के अभिभावक/कंपनी के निदेशक/ट्रस्ट के ट्रस्टी/संयुक्त खाते के रूप में बैंक की एक या एक से अधिक शाखाओं में जमा खाते हैं, तो ऐसे खातों को अलग-अलग क्षमता और अलग-अलग अधिकार में रखा गया माना जाता है। संयुक्त खातों के मामले में, यदि व्यक्ति एक से अधिक संयुक्त खाते खोलते हैं, जिनमें उनके नाम एक ही क्रम में नहीं हैं या व्यक्तियों का समूह अलग-अलग है, तो इन संयुक्त खातों में जमा राशि को अलग-अलग क्षमता और अलग-अलग अधिकार की जमाराशि माना जाता है।

राशि ₹96,74,623 करोड़ (पिछले वर्ष ₹90,32,340 करोड़) थी, जो मूल्यांकन योग्य जमाराशि[16] का 42.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष 44.2 प्रतिशत) थी। 30 सितंबर, 2024 तक आरक्षित अनुपात (यानी जमा बीमा निधि/बीमाकृत जमा) 2.21 प्रतिशत (पिछले वर्ष 2.02 प्रतिशत) था। वर्तमान में, वर्ष 2024-25, के अनुसार, व्याप्ति सीमा प्रति व्यक्ति जीडीपी का 2.5 गुना है।

VI.103 डीआईसीजीसी जमा बीमा प्रदान करने के लिए बैंकों को कुल मूल्यांकन योग्य जमा पर प्रति वर्ष 0.12 प्रतिशत की एक फ्लैट दर प्रीमियम लगाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम ₹ 26,764 करोड़ था, जिसमें साल-दर-साल 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

VI.104 डीआईसीजीसी के पास, परिसमापन/विलय में लिए गए या सर्व-समावेशी निर्देशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए एक जमा बीमा कोष (डीआईएफ) है। उक्त कोष का निर्माण इसके अधिशेष, अर्थात अधिशेषी आय(मुख्य रूप से बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेशों से ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों के परिसमापन से नकद वसूली) के हस्तांतरण के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, निगम द्वारा निपटाए गए कुल दावे ₹476 करोड़ थे, जो सर्व-समावेशी निर्देशों के तहत परिसमाप्त/स्थापित सभी 43 यूसीबी के लिए थे। 31 मार्च, 2025 तक डीआईएफ का आकार ₹2,28,933 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2024 के ₹1,98,753 करोड़ की तुलना में 15.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।

6. निष्कर्ष

VI.105 रिज़र्व बैंक ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के विनियामकीय और पर्यवेक्षी रुपरेखा को और सुदृढ़ करके वित्तीय प्रणाली के संरक्षण के लिए कई उपाय किए। इसी क्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने के अलावा, विनियमित संस्थाओं में विनियमनों के युक्तिकरण और सामंजस्य; बैंकों के जलवायु जोखिम पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी करने; वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदारी और नैतिक रूप से अपनाने हेतु एक रूपरेखा तैयार करने; एससीबी के चलनिधि दबाव परीक्षणों को सुदृढ़ करने; और यूसीबी/एनबीएफसी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) में स्थानांतरण की भी जाँच करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएँगे। साथ ही, एआई के उपयोग की संभाव्यताओं सहित मौजूदा शिकायत प्रबंधन और शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर करना केंद्र में रहेगा।

[16] कर निर्धारणीय जमाराशि में (i) विदेशी सरकारों की जमाराशि; (ii) केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशि; (iii) अंतर-बैंक जमाराशि; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशि; और (v) भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशि के अलावा समस्त बैंक जमाराशि शामिल हैं।